राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–20 / 2023

कृष्णा जी बनाम् प्रयाग यादव।

यह वाद श्री कृष्णा जी, पिता–स्व0 सुखदेव नारायण, पता–मोहल्ला–भलुहीपुर, पोस्ट–चौक आरा, वार्ड संख्या–31, नगर निगम आरा, थाना–आरा टाउन, **जिला–भोजपुर** द्वारा श्री प्रयाग यादव(वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–31, नगर निगम आरा, **जिला–भोजपुर**) पिता–स्व0 रामेश्वर यादव, मोहल्ला–भलुहीपुर, पोस्ट–चौक आरा, वार्ड संख्या–31, नगर निगम आरा, थाना–आरा टाउन, **जिला–भोजपुर** के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–31, नगर निगम आरा, **जिला–भोजपुर** के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत रंजन कुमार द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **भोजपुर** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री दिवाकर दास, उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर, श्री जयन्त जायसवाल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को कुल 03 संतान है, तथा तीनों संतानों का जन्म Cut of date-04.04.2008 के उपरांत हुआ है, परन्तु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के अन्तर्गत होने वाली निरहर्ता से बचने के लिए इनके द्वारा अपने तीसरे संतान को अपने भाई का संतान बताया जा रहा है। अपने दावें के समर्थन में सर्वप्रथम उनके द्वारा प्रतिवादी के नामांकन–पत्र के साथ संलग्न अभ्यर्थी बायोडाटा का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें संतानों की संख्या–02(पुत्र–01 एवं पुत्री–01) स्वयं अंकित किया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी स्वयं इनकार करते हैं कि उनके द्वारा स्वीकार किये जा रहे, दोनों संतानों की जन्मतिथि Cut of date-04.04.2008 के उपरांत होने के तथ्य को स्वयं स्वीकार किया गया है तथा नामांकन–पत्र में इसे दर्ज किया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा निर्वाचन पूर्व अयोग्यता से बचने के लिए अपने अधिवक्ता सहोदर भाई श्री दिनेश कुमार के मिली–भगत से अंतिम संतान पुतुल कुमारी को अपने भाई अर्थात् दिनेश कुमार का संतान बताते है, जबकि सभी साक्ष्य एवं परिस्थितियाँ यह स्पष्ट संकेत प्रदान करती हैं कि पुतुल कुमारी प्रतिवादी श्री प्रयाग यादव की पुत्री है, न कि उनके भाई श्री दिनेश कुमार की। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी एवं उनका परिवार अत्यधिक प्रभावशाली है, इसी के कारण प्रशासनिक अधिकारी उनके पक्ष में प्रतिवेदन तैयार करने

का प्रयास करते है तथा स्थानीय व्यक्ति डर कर सही तथ्य बताने से कतराते है, इसके बावजूद जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) के अद्यतन प्रतिवेदन से यह प्रमाणित होता है कि पुतुल कुमारी प्रयाग यादव की पुत्री है, न कि श्री दिनेश यादव की।

अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि पुतुल कुमारी, अरूणोदय चिल्ड्रेन एकेडमी, भलुहीपुर, भोजपुर(आरा) विद्यालय में अध्ध्यनरत थी, जिसके नामांकन–पंजी में पिता का नाम **"प्रयाग यादव"** को कटिंग कर **"प्रवेश यादव"** तथा माता का नाम **"पूनम देवी"** को कटिंग कर **"पुनीता देवी"** कर दिया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी एवं जिला प्रशासन द्वारा मिली–भगत से सुनवाई के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ करते हुए, एक बार मूल नामांकन पंजी ही बदलने का प्रयास कर चुके है, परन्तु आयोग द्वारा पंजी बदलने पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश जिला पदाधिकारी, भोजपुर को दिया गया था।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के लिखित जवाब का प्रतिवाद करते हुए, आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा जितने भी साक्ष्य/अभिलेख अपने बचाव में संलग्न किये गये है, वह सभी अभिललेख/साक्ष्य वर्ष–2023 में निर्वाचन के तुरन्त पूर्व अथवा वाद दायर होने के उपरांत निर्गत कराये गये है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा पुतुल कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार उनकी जन्मतिथि–31.01.2019 है, परन्तु जन्म प्रमाण–पत्र दिनांक–10.09.2024 को निर्गत कराया गया है। उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि पुतुल कुमारी, वर्ष–2023 में वर्ग–03 की छात्रा है, जिसे प्रतिवादी भी स्वीकार करते हैं। यदि प्रतिवादी के उक्त जन्म प्रमाण–पत्र को सही मान लिया जाए, तो मात्र 04 वर्ष की आयु में वह वर्ग–03 की छात्रा किस प्रकार बन गई ? स्पष्ट है कि पुतुल कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र एवं इसमें अंकित Credentials विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि पुतुल कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र केवल दिनेश कुमार के शपथ–पत्र पर दिया गया है। उनके द्वारा दिया गया शपथ–पत्र भी अधूरा है, क्योंकि दिनेश कुमार द्वारा अपना पेशा घोषित नहीं किया गया है तथा शपथ–पत्र में केवल जन्म वर्ष का उल्लेख है, जबकि सामान्यतः जन्म प्रमाण–पत्र के लिए शपथ–पत्र में जन्मतिथि एवं माह का उल्लेख भी अवश्य किया जाता है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा श्री दिनेश कुमार के शपथ–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा समर्पित जवाब में पुतुल कुमारी के जन्मतिथि के संबंध में अरूणोदय चिल्ड्रेन एकेडमी, भलुहीपुर, भोजपुर(आरा) विद्यालय के प्रवेश–पंजी के अनुसार दिनांक–31.12.2017 है, जबकि प्रतिवादी द्वारा दिये गये जन्म प्रमाण–पत्र में पुतुल कुमारी का जन्मतिथि–31.01.2019 अंकित है। उनके द्वारा दावा किया गया कि जन्म प्रमाण–पत्र False And Fabricated है, क्योंकि स्वयं प्रतिवादी द्वारा जो जन्म प्रमाण–पत्र दिया गया है, उसमें उनके द्वारा पुतुल कुमारी की जन्मतिथि–31.01.2019 बतायी जा रही है। एक

ही बच्चे का दो जन्मतिथि नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया जा रहा है।

वादी द्वारा आयोग का ध्यानाकृष्ट करते हुए, आयोग को बताया गया कि पारिवारिक सर्वेक्षण पंजी का अनुश्रवण करने वाली महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आरा सदर को प्रतिवेदित किया गया है कि प्रतिवादी की माँ मुस्मात मगरसनी देवी द्वारा प्रयाग यादव के तीन बच्चों का नाम लिखवाया गया है, जो अनुष्का यादव, पुतुल यादव तथा सम्राट यादव है। उनके द्वारा यह रेखांकित किया गया है कि मुस्मात मगरसनी देवी उन बच्चों की दादी हैं तथा परिवार की Core Member है। अतः उनसे अधिक सटीक सूचना कौन प्रदान कर सकता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आरा सदर द्वारा भलें ही जन्मतिथि नहीं बताया गया है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा स्वयं नामांकन–पत्र में अंकित किया गया है कि उनके दो संतानों की जन्मतिथि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत की है।

उनके द्वारा अंत में यह दावा किया गया है कि प्रयाग यादव एवं उनके भाई दोनों द्वारा मिल–जुलकर फर्जी अभिलेख तैयार कराये गये है, गलत शपथ–पत्र का सहारा लेकर नामांकन–पत्र दाखिल किया गया है, साथ ही साथ मामला उजागर होने पर साक्ष्यों के साथ छेड़–छाड़ करते हुए, अरूणोदय चिल्ड्रेन एकेडमी, भलुहीपुर, भोजपुर(आरा) की नामांकन–पंजी को बदलने का प्रयास किया गया है। उक्त सभी तथ्यों से प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी को तीन संतान है। अतः इन्हें अविलम्ब पद से हटाया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा वादी के तर्को का खण्डन करते हुए, आयोग को बताया गया कि वादी के वाद–पत्र के साथ कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं है। केवल अभिकथन के आधार पर वाद प्रारंभ किया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में दो व्यक्तियों श्री सनोज कुमार एवं श्री कन्हैया राय के शपथ–पत्र को लगाया गया है। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि उक्त दोनों व्यक्तिों का हस्ताक्षर सादे कागज पर प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया गया है और Black Mailing हेतु इसका प्रयोग कर गलत शपथ–पत्र तैयार कराया गया। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा उक्त आशय का शपथ–पत्र दिया गया है, जिसको उनके द्वारा अपने पूरक जवाब में संलग्न किया गया है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–526/निर्वा, दिनांक–30.05.2023 में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर आरा द्वारा यह स्पष्ट प्रतिवेदन दिया गया है कि उनके मुवक्किल को एक पुत्र एवं एक पुत्री है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–1178/निर्वा, दिनांक–25.10.2023 द्वारा व्यापक जाँच के उपरांत जाँच पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर आरा द्वारा निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि

"जाँचोपरांत श्री प्रयाग यादव, पिता–स्व0 रामेश्वर यादव, भलुहीपुर, वार्ड नं0–31, के तीसरे बच्चे के संबंध में कोई प्रमाणिक साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ।"

जिला पदाधिकारी, भोजपुर के उक्त दोनों प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उनके मुवक्किल को दो ही संतान है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिस अरूणोदय चिल्ड्रेन एकेडमी के नामांकन पंजी के आधार पर पुतुल कुमारी को प्रयाग यादव की पुत्री बताया जा रहा है, उसके संबंध में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उनके ही पक्ष में प्रतिवेदन दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिवेदन से यह तो प्रमाणित होता है कि पुतुल कुमारी के माता–पिता के संगत कॉलम में माता–पिता का नाम Overwrite किया गया है, परन्तु Overwrite के पूर्व वहाँ क्या अंकित था, इसके संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर आश्वस्त नहीं है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिवेदन का प्रभावकारी अंश आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो निम्नवत् हैः–

''विद्यालय प्रबंधन द्वारा पुतुल कुमारी के माता–पिता के कॉलम में जान–बुझकर लिप्त लेखन/पुनर्लेखन(Over Writing) किये जाने के कारण पुतुल कुमारी किसकी बेटी है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। निजी विद्यालय प्रबंधन पर उक्त कृत्य करने के कारण उनके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी एवं अनुशासनिक कार्रवाई के लिए निदेशक(प्राथमिक शिक्षा), बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया गया है।''

आगे उनके द्वारा अंचलाधिकारी, आरा सदर के हस्ताक्षर से निर्गत पारिवारिक सूची का अवलोकन आयोग को कराया गया तथा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के परिवार में पति–पत्नी और दो बच्चे शामिल है।

अंत में उनके द्वारा पूरक जवाब में संलग्न पुतुल कुमारी के जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें पुतुल कुमारी के पिता का नाम श्री दिनेश कुमार अंकित है।

अंत में रजनी कुमारी वाद के आलोक में तथा साक्ष्यों के अभाव में वाद Maintainable नहीं होने का दावा किया गया तथा अंततः उनके द्वारा वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के उक्त तर्कों का प्रतिवाद दर्ज करते हुए, आयोग को बताया गया कि पारिवारिक सूची केवल शपथ–पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। पारिवारिक सूची में ही अंकित रहता है कि हलफनामा में अंकित सूची गलत होगी, तो यह सूची वैध नहीं मानी जायेगी।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यदि जिन गवाहों द्वारा यह कहा जा रहा है कि छलपूर्वक उनका हस्ताक्षर सादे पन्ने पर ले लिया गया, तो वे उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किये। उनके द्वारा दावा किया गया कि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी अन्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके डर से उन दोनों व्यक्तियों द्वारा नया हलफनामा बनाया गया है। सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्य उनके पक्ष में है तथा यह प्रमाणित करते है कि पुतुल कुमारी प्रतिवादी की संतान है। इस प्रकार पुतुल कुमारी एवं नामांकन–पत्र में स्वीकृत दो संतान जिनका जन्म

दिनांक–04.04.2008 के उपरांत हुआ है। उनके दावें को प्रमाणित करते है। अतः ऐसे व्यक्ति को अविलम्ब पद से हटाना जाना चाहिए।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–3536/निर्वा0, दिनांक–21.08.2024 एवं पत्रांक–102/निर्वा0, दिनांक–19.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

"अरूणोदय चिल्ड्रेन एकादमी, भलुहीपुर के विद्यालय प्रवेश–पंजी के क्रमांक–715, दिनांक–31.09.2021 पुतुल कुमारी के सम्मुख पिता एवं माता के नाम में अभिलेखन करते हुए, Prayag को Pravesh एवं Punam को Punita बनाया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रवेश–पंजी में छेड़–छाड़ साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से किया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुतुल कुमारी के पिता प्रयाग यादव और माता पुतुल देवी ही है।"

(पत्रांक–3536/निर्वा0, दिनांक–21.08.2024)

विद्यालय प्रबंधन द्वारा पुतुल कुमारी के माता–पिता के कॉलम में जानबूझ कर लिप्त लेखन/पूर्णलेखन(Over Writing) किये जाने के कारण पुतुल कुमारी बेटी है स्पष्ट नहीं हो रहा है। निजी विद्यालय प्रबंधन पर उक्त कृत्य करने के कारण उनके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी एवं अनुशासनिक कार्रवाई के लिए निदेशक(प्राथमिक शिक्षा), बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया गया है।"

(पत्रांक–102/निर्वा0, दिनांक–19.01.2026)

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, भोजपुर का प्रतिवेदन अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री प्रयाग यादव (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–31, नगर निगम आरा, जिला–भोजपुर) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–31, नगर निगम आरा (भोजपुर) के पद पर निर्वाचित हो गये हैं।"

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी का दावा एवं तर्क अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ–साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थी बायोडाटा में अपने संतानों की संख्या वाले कंडिका में संतान की संख्या–02 अंकित की गई है, जिसमें सभी दोनों संतानों की उत्पत्ति दिनांक–04.04.2008 के उपरांत स्वीकार की गयी है।

विवाद का विषय यह है कि पुतुल कुमारी प्रतिवादी प्रयाग यादव की पुत्री है, अथवा नहीं ? आयोग द्वारा पाया गया कि वादी द्वारा प्राथमिक साक्ष्य के रूप में "अरूणोदय चिल्ड्रेन एकादमी, भलुहीपुर, भोजपुर(आरा) के नामांकन–पंजी को प्रस्तुत किया गया, जिसमें माता–पिता के नाम को काटकर प्रवेश यादव एवं पुनीता देवी कर दिया गया है। यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि सम्पूर्ण नामांकन–पंजी में किसी विद्यार्थी के माता–पिता के नाम में किसी प्रकार की कटिंग/अधिलेखन/लिप्त लेखन नहीं है, परन्तु जिस बच्ची के पिता की अयोग्यता/योग्यता संबंधी वाद विचाराधीन है, उसी बच्ची के माता–पिता के नाम को Overwrite करते हुए, नाम बदले गये हैं।

प्रतिवादी पुतुल कुमारी को अपने भाई का संतान सिद्ध करने का प्रयास कर रहे है तथा उनके द्वारा पुतुल कुमारी का जो जन्म प्रमाण–पत्र (पंजीकरण संख्या–B202410901090007528, दिनांक–10.09.2024) दिया गया है, उसमें उसके पिता का नाम दिनेश कुमार तथा माता का नाम रितु कुमारी यादव है, अर्थात् अरूणोदय चिल्ड्रेन एकादमी, भलुहीपुर, भोजपुर(आरा) के नामांकन–पंजी में अंकित पुतुल कुमारी को प्रतिवादी Deny नहीं करते हैं। अब आयोग द्वारा इस तथ्य पर विचार किया गया कि उक्त नामांकन–पंजी में पिता का नाम Prayag Yadav को Pravesh Yadav क्यों बनाया गया ? कारण स्पष्ट है Prayag Yadav को Dinesh Yadav बनाना अधिक कठिन है। ठीक इसी प्रकार Punam Devi को Punita Devi बनाना आसान है, जबकि Ritu Kumari Yadav बनाना अत्यन्त कठिन है। जिला पदाधिकारी, भोजपुर का भी अभिमत है कि "अरूणोदय चिल्ड्रेन एकादमी, भलुहीपुर के विद्यालय प्रवेश–पंजी के क्रमांक–715, दिनांक–31.09.2021 पुतुल कुमारी के सम्मुख पिता एवं माता के नाम में अभिलेखन करते हुए, Prayag को Pravesh एवं Punam को Punita बनाया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रवेश–पंजी में छेड़–छाड़ साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से किया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुतुल कुमारी के पिता प्रयाग यादव और माता पुतुल देवी ही है।"

यह तथ्य इस घटना क्रम से भी प्रमाणित होता है कि ज्योहिं उक्त नामांकन–पंजी जाँच पदाधिकारियों के लिये प्रमुख साक्ष्य बना, प्रतिवादी द्वारा स्कूल प्रशासन के साथ मिली–भगत से Cloning कर एक नये नामांकन–पंजी को तैयार करा लिया गया, परन्तु उस Clone किये गये, नामांकन–पंजी में एक मूलभूत चूक करते हुए, मूल पंजी के क्रमांक–715 पर अंकित पुतुल कुमारी के Credential को क्रमांक–716 पर अंकित कर दिया गया, जिसे सुनवाई के क्रम में ही आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया कि प्रतिवादी साक्ष्यों के Manipulation में लिप्त है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी की माता द्वारा उस परिक्षेत्र की आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका को दी गयी सूचना को भी अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना एवं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे आयोग भी स्वीकार करता है। प्रतिवादी की माँ मुस्मात मगरसनी देवी द्वारा यह सूचना दी गयी है कि प्रयाग यादव को तीन संतान है। इस सूचना को नजरअंदाज नहीं किया

जा सकता, क्योंकि प्रतिवादी की माँ उनके परिवार के Core Family Member है तथा उनके संतानों की दादी है। अतः उनका वक्तव्य/सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

आयोग वादी के इस तर्क से भी सहमत है कि प्रतिवादी अपने प्रभाव का प्रयोग साक्ष्यों को तोड़ने–मरोड़ने एवं Manipulation में कर रहे है, क्योंकि उनके द्वारा विचाराधीन वाद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्य में हेर–फेर कराया गया तथा आयोग को गुमराह करने हेतु Cloned नामांकन–पंजी तैयार कराया गया।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा कई प्रतिवेदन उनके पक्ष में दिया गया है, क्योंकि आयोग द्वारा जब सुनवाई के क्रम में यह प्रमाणित रूप से Observe किया कि प्रतिवादी के प्रभाव में मूल नामांकन–पंजी का Clone तैयार करके जिला पदाधिकारी के माध्यम से सुनवाई में प्रस्तुत कराया गया है, तो आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये, प्रत्येक प्रतिवेदन का गहन विश्लेषण किया गया तथा निष्पक्ष प्रतिवेदन को ही मान्यता प्रदान की गई है। यद्यपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के अद्यतन प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से पुतुल कुमारी के माता–पिता के संबंध में प्रतिवेदन नहीं दिया गया है तथापि उनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि नामांकन–पंजी में पूर्व से अंकित माता–पिता के नाम को Over Write कर नाम में परिवर्तन किया गया है, जो सहज संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि विचाराधीन वाद में पुतुल कुमारी के माता–पिता ही प्रश्नगत् है तथा सम्पूर्ण नामांकन–पंजी में केवल पुतुल कुमारी के माता–पिता के नाम को ही बदला गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी यह स्वीकार करते हैं कि पुतुल कुमारी उनके ही परिवार की बच्ची हैं, भलेहिं वह इसे अपने भाई की संतान बताते है, परन्तु परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि पुतुल कुमारी प्रयाग यादव की ही संतान है।

आयोग द्वारा यह भी पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा पुतुल कुमारी का आधार कार्ड संख्या–6036 5498 2072, जन्मतिथि–31.01.2019 अपने बचाव में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु यह आधार दिनांक–09.08.2024 को Updated किया गया है, अर्थात् इसके Credential बदले गये है, जो कि After thought का परिचायक है। इसी आधार कार्ड के Basis पर दिनांक–10.09.2024 को जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत कराया गया है। उक्त दोनों दस्तावेज वाद दायर करने की उपरांत निर्गत कराये गये है। अतः उक्त अभिलेख विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और आयोग द्वारा उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया है।

ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–1178/निर्वा0, दिनांक–25.10.2023 में संलग्न अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर आरा के प्रतिवेदन को उद्धृत किया गया है, परन्तु आयोग द्वारा ऐसा कोई प्रतिवेदन स्वीकृत नहीं किया जाता, जिसमें जाँचकर्त्ता/जाँच पदाधिकारी अपने अभिकथनों को जिला कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों को संज्ञान में लिये बिना तथा वादी द्वारा दिये गये, साक्ष्यों को नजर–अंदाज कर तैयार किया गया हो।

उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि पुतुल कुमारी, प्रतिवादी प्रयाग यादव की संतान है। इस प्रकार प्रयाग यादव को कुल 03 संतान है, जिनमें से कम से कम 02 संतानों की जन्मतिथि उनके स्वीकारोक्ति के आधार पर दिनांक–04.04.2008 के उपरांत की है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री प्रयाग यादव को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–31, नगर निगम आरा (भोजपुर) के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब हो गये। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्री प्रयाग यादव को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–31 नगर निगम आरा (भोजपुर) के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–31, नगर निगम आरा (भोजपुर) का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी, भोजपुर को आदेश दिया जाता है कि श्री प्रयाग यादव के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, भोजपुर के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
24.03.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
24.03.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–20/2023 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उप सचिव

ज्ञापांक–20/2023/1286 पटना, दिनांक–24/03/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **भोजपुर**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **भोजपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं

प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

24/3/16
उप सचिव